[दि एप्रोप्रिएशन (नम्बर 3) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2017

31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवाओं पर व्यय की गई रकमों को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि में से धन के विनियोग को प्राधिकृत करने का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:--

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (संख्यांक 3) अधिनियम, 2017 है । संक्षिप्त नाम ।

2. भारत की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां, जिनका कुल योग एक खरब, बासठ अरब, सात करोड़, पचानवे लाख, उन्नीस हजार, दो सौ छियालीस रुपए होता है, 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट सेवाओं की बाबत प्रभारों को चुकाने के लिए व्यय की गई रकम को, जो उन सेवाओं के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, पूरा करने के लिए दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी । 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कतिपय अधिक व्यय की पूर्ति करने के लिए भारत की संचित निधि में से 1,62,07,95,19,246 रुपए का निकाला जाना ।

3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई हैं । विनियोग ।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

1	2		3		
अनुदान संख्यांक	**सेवाएं और प्रयोजन**			**आधिक्य**	
			दत्तमत भाग	**भारित भाग**	**योग**
	सिविल मंत्रालय		₹	₹	₹
13	डाक विभाग	राजस्व	70,40,85,092	...	70,40,85,092
20	रक्षा मंत्रालय	राजस्व	...	6,68,87,167	6,68,87,167
		पूंजी	...	11,801	11,801
21	रक्षा पेंशन	राजस्व	94,35,90,46,976	4,54,50,236	94,40,44,97,212
26	रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	राजस्व	...	13,498	13,498
77	विद्युत मंत्रालय	पूंजी	61,93,40,87,250	...	61,93,40,87,250
	रेल मंत्रालय				
2	प्रकीर्ण व्यय (साधारण)	राजस्व	70,07,58,724	...	70,07,58,724
3	रेलों पर साधारण अधीक्षण और सेवाएं	राजस्व	...	23,862	23,862
7	संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और अनुरक्षण	राजस्व	...	46,46,509	46,46,509
13	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे	राजस्व	...	21,01,513	21,01,513
14	निधियों को विनियोग	राजस्व	3,86,47,94,144	...	3,86,47,94,144
16	आस्तियां - अर्जन, सन्निर्माण और प्रतिस्थापन - (रेल सुरक्षा निधि)	राजस्व	39,76,12,474	...	39,76,12,474
	योग	:	**1,61,96,03,84,660**	**11,91,34,586**	**1,62,07,95,19,246**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 115 के साथ पठित अनुच्छेद 114(1) के अनुसरण में पुरःस्थापित किया जा रहा है, यह भारत की संचित निधि में से उन धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए है, जो 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए, केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए लोक सभा द्वारा किए गए अनुदानों से अधिक उपगत व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक है ।

अरुण जेटली

GMGIPMRND—1466LS(CRC)—26-7-2017.